Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to provide reservation to faculties in Central Universities belonging to Other Backward Classes.

श्री गणेश सिंह (सतना): केन्द्रीय विश्वविद्यालय में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान वर्ष 1993 में किया गया था। लेकिन आज तक 27 प्रतिशत कोटा ओबीसी का नहीं भरा गया है। 71 मंत्रालयों/ विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 2014 को केन्द्र सरकार के अंतर्गत आने वाले पदों एवं सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 17.35, 8.38 एवं 19.28 प्रतिशत है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित 10 प्रमुख मंत्रालयों/ विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर 2016 को 28713 रिक्तियां भरी नहीं गयी थीं जो अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षित 92589 बैकलॉग रिक्तियों का लगभग 31 प्रतिशत है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की तीन स्तरों पर भर्ती होती है। प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर, जिसमें सहायक प्रोफेसर सबसे निचला पद है। लेकिन ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण सिर्फ सहायक प्रोफेसर के पद पर होने वाली भर्ती तक ही सीमित रख गया है। जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को तीनों पदों पर भर्ती में आरक्षण का लाभ मिलता है। किसी भी यूनीवर्सिटी में एस.सी-एस.टी., ओबीसी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बताया है कि ओबीसी, एस.सी. और एस.टी. के अनेक छात्र अँग्रेजी भाषा प्रवीणता में कमजोर होने के कारण अपने विषय के पाठ्यक्रमों में संघर्ष करते रहते हैं और उपयुक्त रोजगार के लिए नियुक्त किए जाने की उनकी क्षमता बाधित होती है। क्या यह राजभाषा हिन्दी का अपमान नहीं है और क्या ओबीसी/दलितों को अंग्रेजी में कमजोर बताकर उनके मनोबल को कमजोर करना नहीं है। क्या दक्षिण भारत के ओबीसी और दलितों की अंग्रेजी उत्तर भारत के सामानय वर्ग के लोगों से कमजोर होती है। क्या यह दोहरी मानसिकता का परिचायक नहीं है।